इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 17 | अंक संख्या 4 | नवंबर, 2024 | पृष्ठों की संख्या - 09

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ.....3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....3
विनियामक के कथन.....4
आर्थिक संवेष्टन.....5
नयी नियुक्तियाँ.....5
विदेशी मुद्रा.....6
शब्दावली.....6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी.....6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां.....7
संस्थान समाचार.....7
बाजार की खबरें.....8
नयी पहलकदमी.....9

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

मौद्रिक नीति: मुख्य बातें (अक्तूबर 7-9, 2024)

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 7-9 अक्तूबर 2024 को हुई बैठक की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- रेपो दर बिना बदले 6.5% बनी रहेगी।
- नीतिगत दृष्टिकोण 'राहत वापस लेने' के स्थान पर 'तटस्थ'।
- स्थायी जमा सुविधा (Standing Deposit Facility) दर बिना परिवर्तन के 6.25% बनी रहेगी।
- सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility) तथा बैंक दर बिना बदले 6.75% बनी रहेगी।
- 2025-26 की प्रथम तिमाही हेतु वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 7.3% होने का पूर्वानुमान है।
- 2025-26 की प्रथम तिमाही हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4.3% होना पूर्वानुमानित है।

विकासात्मक तथा विनियामक नीतियों पर वक्तव्य की मुख्य बातें:

- उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से कर्ज देने के आचरण मानदंडों का दायरा सूक्ष्म व लघु उद्यमों को शामिल कर बढ़ा दिया जाना है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक दो हिस्सों वाली डेटा रिपाजिटरी जिसका नाम रिज़र्व बैंक-जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली (RB-CRIS) होगा, स्थापित करने वाला है। पहले हिस्से में जनता के लिए अभिगम्य वेब आधारित निर्देशिका होगी, जिसमें विभिन्न डेटा स्रोत (मौसमविज्ञान संबंधी, भू स्थानिक) होंगे। दूसरा हिस्सा डेटासेट (मानकीकृत फार्मेट में प्रासेस्ड डेटा) वाला डेटा पोर्टल होगा।
- एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) के उपयोग में वृद्धि हो, इसे प्रोत्साहित करने के लिए यूपीआई123पे में प्रति संव्यवहार सीमा बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। यूपीआई लाइट में वॉलेट सीमा बढ़ाकर 5,000 रुपए होगी तथा इसकी प्रति संव्यहार सीमा बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी जाएगी।
- रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट (RTGS) प्रणाली तथा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) में निधि अंतरण की शुरुआत करने से पूर्व लाभार्थी खाताधारक के नाम का विप्रेषक द्वारा सत्यापन किया जा सके, इस हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक 'लाभार्थी खाता नाम लुक अप सुविधा' शुरू करेगा।

और अधिक संस्थाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के एनडीएस-ओएम प्लेटफार्म तक सीधी पहुँच मिलेगी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (NDS-OM) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म तक सीधी पहुँच के दायरे का विस्तार कर विनियमित संस्थाओं (REs) के और अधिक समूहों को इसमें शामिल कर दिया है। तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक, एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों को शामिल कर), भविष्य निधियाँ, पेंशन निधियाँ, बीमा कंपनियाँ तथा विनियमित बाज़ार अवसंरचना संस्थाएं (Market Infrastructure Institutions or MIIs) अब इस प्लेटफार्म पर एक संव्यहार को सीधे निष्पादित/रिपोर्ट कर सकेंगी। इन संव्यवहारों का समाधान उनके अपने अनुषंगी सामान्य बही (Subsidiary General Ledger) खाते में किया जाएगा। विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) तथा कॉर्पोरेट की एनडीएस-ओएम तक अप्रत्यक्ष पहुँच बनी रहेगी।

म्यूचुअल फंड इकाईयां सेबी के भेदिया व्यापार नियमों के दायरे में शामिल

1 नवंबर 2024 से म्यूचुअल फंड इकाईयों को सेबी (भेदिया व्यापार निषेध) विनियम, 2015 के दायरे में लाकर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा भेदिया व्यापार नियमों को और सख्त कर दिया गया है। तदनुसार, अब म्यूचुअल फंड आस्ति प्रबंधन कंपनियाँ, (MF AMCs), उनके न्यासी, कर्मचारी तथा निदेशकगण सेबी के भेदिया व्यापार निषेध नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे तथा निर्दिष्ट व्यक्तियों एवं उनके करीबी रिश्तेदारों की धारिता का तिमाही प्रकटन प्रस्तुत करेंगे। निधि संस्थानों के वरिष्ठ कर्मचारी तथा उनके संबंधी यदि आने वाले निर्गमों की लाभकारी जानकारी रखते हैं तो वे अपनी म्यूचुअल फंड धारिता नहीं बेच सकेंगे।

शेयरधारिता की निगरानी हेतु बाजार अवसंरचना संस्थाओं को सेबी द्वारा निर्देशावली जारी

स्टॉक एक्सचेंजों सहित बाजार अवसंरचना संस्थाएं, समाधान निगम तथा डिपॉजिटरी अब सेबी द्वारा जारी निर्देशावली का पालन करेंगी ताकि शेयरधारिता सीमाओं, सार्वजनिक शेयरधारिता अपेक्षाओं एवं 'फिट एंड प्रापर' मानदंड की निगरानी की जा सके। सेबी के सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षा (Listing Obligations and Disclosure Requirements or LODR) मानदंडों के पालन में, सूचीबद्ध तथा गैर सूचीबद्ध दोनों प्रकार की बाज़ार अवसंरचना संस्थाएं अपने शेयरधारिता पैटर्न का प्रति तिमाही प्रकटन अपनी वेबसाइट पर करेंगी। प्रत्येक बाज़ार अवसंरचना संस्था शेयरधारिता सीमाओं के अनुपालन पर निगरानी रखने हेतु एक असंबद्ध निर्दिष्ट डिपॉजिटरी (डीडी) नियुक्त करेगी। डिपॉजिटरीयों हेतु अन्य डिपॉजिटरी उनके डीडी के रूप में कार्य करेंगी। स्टाक एक्सचेंजों को सुनिश्चित करना होगा की ट्रेडिंग सदस्य, उनके सहयोगी तथा अभिकर्ता सामूहिक रूप से 49% से अधिक इक्विटी नहीं धारित करते हैं। समाशोधन निगमों को स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा न्यूनतम 51% स्वामित्व बनाए रखना होगा। तथापि कोई भी एक्सचेंज बहुल समाशोधन निगमों में 15% से अधिक धारण नहीं करेगा। 2% या अधिक इक्विटी वाले सभी शेयरधारकों द्वारा "फिट एंड प्रापर" मानदंडों को अनिवार्यत: पूरा करना चाहिए।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (Central Counterparties or CCPs) हेतु मानकों को भारतीय रिज़र्व बैंक ने अद्यतन कर दिया है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनिवार्य कर दिया है कि यथा सीसीपी अधिकृत होना अथवा मान्यता चाहने वाली संस्था अपना आवेदन जमा करने के समय न्यूनतम 300 करोड़ रुपए की निवल मालियत रखती हो। भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों में निर्धारित है कि प्रत्येक अधिकृत सीसीपी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति की स्थिति अनुसार, सांविधिक लेखापरीक्षक से एक लेखापरीक्षित निवल मालियत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छ: महीनों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाए। अधिकृत सीसीपी शेयरों द्वारा सीमित पब्लिक कंपनी लिमिटेड होनी चाहिए तथा शेयर, अधिकृत सीसीपी के उपयोगकर्ता व्यक्तियों द्वारा धारित हों।

भारतीय रिज़र्व बैंक का ऋण संस्थाओं को निर्देश: ऋण चक्र पूरा होने या परिचालन बंद होने तक ऋणी की जानकारी प्रस्तुत करें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋण संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे उनके द्वारा ऑनबोर्ड किए गए ऋणियों की ऋण जानकारी, अपने लाइसेंसेंस के रद्द होने, परिचालनों के बंद होने अथवा ऋणी के ऋण चक्र के पूरा होने, इनमें से जो भी पहले हो, तक ऋण सूचना कंपनियों (Credit Information Companies or CICs) के पास प्रस्तुत करें। परिचालन की सुगमता हेतु, सीआईसी अपनी ऋण सूचना रिपोर्टों में ऐसी संस्थाओं को 'रद्द लाइसेंस वाली संस्थाओं' का नाम देंगे।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिज़र्व बैंक का भुगतान प्रणाली भागीदारों को निर्देश: दिव्यांग व्यक्तियों हेतु डिजिटल भुगतान अभिगम्य बनाएँ

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली भागीदारों (Payment System Participants or PSPs) अर्थात बैंकों एवं गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रदानकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी भुगतान प्रणालियां दिव्यांग व्यक्तियों हेतु अभिगम्य हों, अपनी भुगतान प्रणालियों की समीक्षा करने को कहा है। अपनी समीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर पीएसपी भुगतान प्रणालियों तथा उपकरणों में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। तथापि, कोई संशोधन करते समय पीएसपी को सुरक्षा पहलुओं को बनाए रखना सुनिश्चित करना है। पीएसपी को उनकी प्रणालियों/उपकरणों जिनमें संशोधन की आवश्यकता है, का विवरण इस कार्य को पूरा करने हेतु समयबद्ध कार्य योजना के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय दिया गया है।

ऋणियों के डेटा से अवगत रहने हेतु आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ सभी ऋण सूचना कंपनियों की सहायता लें: भारतीय रिज़र्व बैंक

बैंकों/एनबीएफसी द्वारा ऋणों को आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs), को अंतरित किए जाने के पश्चात ऋणी के ऋण इतिहास पर नज़र रखने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को सभी ऋण सूचना कंपनियों (CICs) का सदस्य बनने तथा उन्हें वांछित आंकड़े एकरूप ऋण रिपोर्टिंग प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करने के लिए कहा है। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां प्राप्त जानकारी को पाक्षिक आधार अथवा आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी व ऋण सूचना कंपनी के बीच यथा सहमत लघुतर अंतराल पर अद्यतन करती रहेंगी। एनओसी के मसले को केंद्रीकृत कर तथा ऋण सूचना कंपनियों को जानकारी देकर, चुकौती की जानकारी के अद्यतन न हो पाने से बचा जा सकता है। वांछित ग्राहक जानकारी जिसमें ग्राहक की पहचान संबंधी जानकारी शामिल है, देने के लिए, आस्ति पुनर्निर्माण

कंपनियों के पास मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) अवश्य होनी चाहिए। सीआईसी के साथ कार्य करने हेतु उन्हें एक नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति करनी चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक ने एआरसी को कहा है कि इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया 1 जनवरी 2025 तक स्थापित कर लें।

विनियामक के कथन

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास को मुद्रास्फीति में वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही से राहत की उम्मीद; भू राजनीतिक तथा मौसम संबंधी जोखिमों की चेतावनी

वाशिंगटन में पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इन्टरनेशनल इकोनामिक्स (PIIE) द्वारा आयोजित मैक्रो वीक समारोह में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही से मुद्रास्फीति में क्रमश: कमी आने की उम्मीद है, परंतु भू राजनीतिक तनाव एवं मौसम की प्रवृत्तियों की अनिश्चितता इस दृष्टिकोण के प्रति बड़ा जोखिम प्रस्तुत करते हैं। बदलते वैश्विक आर्थिक वातावरण में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष मौजूद चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना करने के लिए श्री दास ने ज़ोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) तथा विश्व बैंक जैसी संस्थाओं द्वारा उन्हें संसाधनों तक अधिक पहुँच तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में और ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका देनी चाहिए। वित्तीय स्थिरता को 'वैश्विक जन कल्याण' मानने की आवश्यकता व्यक्त करते हुए श्री दास ने शैडो बैंकिंग, फिन टेक तथा विकेंद्रीकृत वित्त के जोखिमों के प्रति आगाह किया। इन चुनौतियों से उत्पन्न हो सकने वाले संभावित संक्रामक प्रभावों को कम करने हेतु उन्होंने सुदृढ़ विनियामक ढांचे की वकालत की। एकता बढ़ाने तथा आगे और आर्थिक विभाजन रोकने में उन्होंने जी20 की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया।

केंद्रीय बैंकिंग इस दशक में सफलता की दास्तान है: भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास

नई दिल्ली में आरबीआई@90 उच्चस्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि कठिन मुश्किलों तथा समझौतों के बावजूद वर्तमान दशक केंद्रीय बैंकिंग की सफलता का साक्षी रहा है। तथापि उन्होंने वित्तीय स्थिरता के प्रति उत्पन्न होते कुछ जोखिमों के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दी। ये जोखिम हैं: एक- वैश्विक मौद्रिक नीतियों में भिन्नता। कुछ अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक राहतें दी जा रही हैं तो कुछ में सख्ती अपनाई जा रही है और कुछ में गतिहीनता है। इनके परिणामस्वरूप पूंजी प्रवाह तथा विनिमय दरों में काफी उतार-चढ़ाव हो सकता है जो वित्तीय स्थिरता के लिए व्यवधानकारी होगा। दो- निजी ऋण बाजार का तेजी से विस्तार जिसमें विनियमन सीमित होने से वित्तीय स्थिरता को जोखिम है विशेषत: इस कारण से कि मंदी में उनका स्ट्रेस-टेस्ट नहीं किया गया है। तीन- मुद्रास्फीतिकारक दबावों को रोकने हेतु उँची ब्याज दरें। इनके कारण ऋण चुकौती लागतों, वित्तीय बाज़ार में उतार-चढ़ावों तथा आस्ति गुणवत्ता के प्रति जोखिमों में बढ़ोत्तरी हुई है जो वैश्विक संकट में बदल सकते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ पात्रा का वैश्विक जोखिम आकलन तरीकों पर वक्तव्य

फेडरल रिज़र्व बैंक, न्यूयार्क द्वारा आयोजित न्यूयार्क फेड सेंट्रल बैंकिंग सेमिनार में अपने उद्घाटन भाषण में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ माइकल देबब्रत पात्रा ने विभिन्न वैश्विक जोखिम आकलन तरीकों की चर्चा की। वैश्विक जोखिमों के आकलन हेतु उन्होंने तीन सूचकांकों पर ज़ोर दिया: (1) भू राजनीतिक जोखिम (Geopolitical Risk) सूचकांक जो समाचारपत्रों के लेखों से प्रतिकूल भू राजनीतिक घटनाओं पर नज़र रखता है; (2) व्यापार नीति अनिश्चितता (Trade Policy Uncertainty) सूचकांक जो व्यापार नीति अनिश्चितता तथा बढ़े व्यापार तनावों के उल्लेख वाले लेखों को शामिल करता है; और (3) वैश्विक आर्थिक नीति अनिश्चितता (Global Economic Policy Uncertainty) सूचकांक जो वैश्विक आर्थिक कार्यकलापों पर नीति संबंधी अनिश्चितता के प्रभाव की जांच करता है। अपने वक्तव्य में, डॉ पात्रा ने यह भी खुलासा किया कि भारतीय रिज़र्व बैंक के अर्थशास्त्रियों ने भारत के लिए टेक्स्ट माइनिंग आधारित नीति अनिश्चितता सूचकांक तैयार किया है। विभिन्न वैश्विक सूचकांकों के आधार पर, यह सूचकांक गूगल ट्रेंड्स से इंटरनेट सर्च डेटा का उपयोग कर, घरेलू तथा वैश्विक दोनों घटनाओं के कारण नीति अनिश्चितता की माप का आधार बनाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के अर्थशास्त्रियों ने भारत पर असर डालने वाले आपूर्ति शृंखला दबावों पर नज़र रखने हेतु भारत के लिए आपूर्ति शृंखला दबावों (ISPI) का सूचकांक भी तैयार किया है। फेडरल रिज़र्व बैंक द्वारा निर्मित जीएससीपीआई में प्रयुक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, आईएसपीआई 19 घरेलू व वैश्विक चरों से साझा कारक निकालता है। प्रयुक्त अन्य टूल्स में जोखिमयुक्त पूंजी प्रवाह (CaR) दृष्टिकोण तथा वित्तीय प्रणाली तनाव संकेतक (Financial System Stress Indicator or FSSI) शामिल हैं। पूंजीगत जोखिम खास दबावों के उत्तर में प्रत्याशित पूंजी बहिर्वाह का पता लगाने में सहायक है और एफएसएसआई भारतीय वित्तीय प्रणाली में समग्र दबाव स्तर पर निगरानी रखता है।

केंद्रीय बैंक आखिरी कर्जदाता होने से आगे बढ़ अब वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने लगे हैं: भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे

नई दिल्ली में आरबीआई@90 उच्चस्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे ने

कहा कि किसी देश का वित्तीय क्षेत्र भली भांति कार्य कर रही अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। यह संसाधनों का कुशल उपयोग संभव बनाती है, विभिन्न साधनों से जोखिम प्रबंधन करती है, सुगम भुगतान एवं निपटान सुनिश्चित करती है तथा निवेश को प्रोत्साहित करने व आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने हेतु महत्वपूर्ण उपाय करती है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय बैंकों की भूमिका में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अंतिम कर्जदाता होने से काफी आगे बढ़ कर वे अब वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु विनियामक, पर्यवेक्षी तथा मौद्रिक साधनों से युक्त हैं। वास्तव में, सभी देशों में सरकारों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय विनियामकों और उद्योग को साथ आकर वित्तीय स्थिरता की रक्षा हेतु समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।

भारत में मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु ढांचे की व्याख्या

नई दिल्ली में आरबीआई@90 उच्चस्तरीय सम्मेलन में वक्तव्य देते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ माइकल देबब्रत पात्रा ने मुद्रास्फीति के नियंत्रण (Inflation Targeting or IT) हेतु उपाय अपनाने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आईटी ने उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं (EMEs) के मौद्रिक नीति ढांचों को अत्यधिक सुदृढ़ किया है जो उनकी उच्चतर बाह्य तथा वित्तीय स्थिरता में द्रष्टव्य है। ढांचे के तीन स्तंभों नामत: लचीलेपन, पारदर्शिता और इसलिए जवाबदेही, एवं विश्वसनीयता के चलते आईटी समय की कसौटी पर खरा उतरा है।

भारत के अनुभव की बात करते हुए डॉ पात्रा ने कहा कि भारत का लचीला मुद्रास्फीति नियंत्रण (FIT) ढांचा 4% की मुद्रास्फीति के लक्ष्य के गिर्द केंद्रित है जिसमें +/- 2 प्रतिशत की ऊँच-नीच की जगह रखी गई है। FIT के 'F' में शामिल हैं (i) विकास के प्रति सजग रहते हुए मूल्य स्थिरता को प्रमुखता देने वाला अधिदेश; (ii) मुद्रास्फीति लक्ष्य जो बिंदु की बजाय औसत में परिभाषित हो; (iii) लक्ष्य प्राप्ति एक समयावधि में न की निरंतरता में; (iv) ऊँच-नीच की जगह जो मापन के मसलों, पूर्वानुमान की अशुद्धियों तथा आपूर्ति दबावों को समायोजित कर सके; और (v) लक्ष्य प्राप्ति में विफलता को टॉलरेंस बैंड से मुद्रास्फीति का तीन लगातार तिमाहियों में विचलन, न की लक्ष्य से प्रत्येक विचलन।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी मासिक अर्थव्यवस्था समीक्षा, सितंबर 2024 की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- वस्तु व्यापार घाटे में वृद्धि के चलते चालू खाता घाटा (CAD) वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में (पिछली तिमाही में आधिक्य से) बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 1.1% हो गया।
- कमजोर वैश्विक मांग तथा अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों में गिरावट के कारण वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में वस्तु निर्यात में अल्प वृद्धि हुई। तथापि मज़बूत घरेलू मांग की वजह से वस्तु आयात बढ़ गया।
- विनिर्माण प्रबंधक सूचकांक अगस्त 2024 के 57.5 से घटकर सितंबर 2024 में 56.5 हो गया।
- वित्त वर्ष 25 के प्रथम पाँच महीनों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में वृद्धि 4.2% पर मजबूत बनी रही।
- वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में निवल एफडीआई अंतर्वाह वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही के 4.7 बिलियन यूएस डॉलर के समक्ष बढ़ कर पाँच तिमाहियों का अधिकतम 6.3 बिलियन यूएस डॉलर हो गया।
- मार्च 2024 की समाप्ति पर बाहरी ऋणों से सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात, सकल घरेलू उत्पाद का 18.9% था। जून 2024 की समाप्ति पर यह थोड़ा घट कर 18.8% हो गया।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) अंतर्वाह वित्त वर्ष 24 की पहली छमाही के 21.6 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़ कर वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में 21.6 बिलियन यूएस डॉलर हो गया।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बंधन बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	25 अक्तूबर 2024 के दिन करोड रुपए	25 अक्तूबर 2024 के दिन मिलियन अमरीकी डालर	विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में प्रवृत्तियाँ (मिलियन अमरीकी डालर) पिछले 6 माह
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	5757912	684805	
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4992326	593751	
1.2 सोना	576181	68527	
1.3 विशेष आहरण अधिकार	153190	18219	
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	36215	4307	

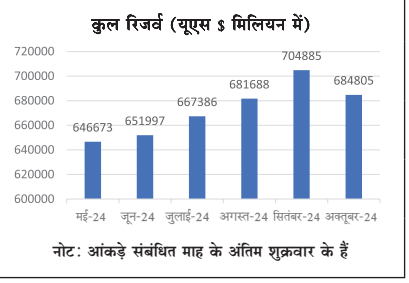

नोट: आंकड़े संबंधित माह के अंतिम शुक्रवार के हैं

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

यथा 31 अक्तूबर 2024 एफसीएनआर (बी) जमाराशियों हेतु वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) की आधार दरें - नवंबर 2024 माह हेतु लागू

मुद्रा	दर
अमरीकी डॉलर	4.82
जीबीपी	4.95
यूरो	3.164
जापानी येन	0.228
कनाडाई डॉलर	3.8100
आस्ट्रेलियाई डॉलर	4.35
स्विस फ्रैंक	0.951289

मुद्रा	दर
न्यूजीलैंड डॉलर	4.75
स्वीडिस क्रोन	3.144
सिंगापुर डॉलर	3.0666
हांगकांग डॉलर	3.78548
म्यांमार रुपया	3.00
डैनिश क्रोन	2.7820

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

बेचान सौदा प्रणाली -आदेश मिलान (NDS-OM) प्रणाली

एनडीएस-ओएम एक इलेक्ट्रॉनिक आदेश मिलान प्रणाली है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) तथा अन्य प्रकार की मुद्रा बाज़ार लिखतों के निर्गम तथा विनिमय की सुविधा हेतु संचालित है। यह एक अनाम प्रणाली है जो लघु निवेशकों हेतु अभिगम्यता आसान बनाने, सरकारी प्रतिभूतियों के स्वामित्व को लोकतान्त्रिक बनाने तथा सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्मित की गई थी।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

पूंजीगत जोखिम (Capital at risk or CaR) दृष्टिकोण

यह खास दबाओं के उत्तर में प्रत्याशित पूंजी बहिर्वाह की मात्रा को मापने हेतु उपयोगी संकेतक है। पूंजी प्रवाह के प्रति जोखिम की गणना, दी गई प्रायिकता हेतु बहिर्वाह के आकार का आकलन कर, की जाती है। न्यूनतम तथा उच्चतर मात्राओं का पूर्वानुमानित पूंजी प्रवाह समय के दौरान पूंजीगत जोखिम (CaR) में बदलाव दर्शाता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

नवंबर 2024 माह के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
अपने ग्राहक को जानें, धनशोधन निवारण तथा वित्तीय आतंकवाद रोकने पर कार्यक्रम	11-13 नवंबर 2024	वर्चुअल
निवारक सतर्कता एवं धोखाधड़ी प्रबंधन पर कार्यक्रम	12-14 नवंबर 2024	
एमएसएमई को वित्तपोषण पर कार्यक्रम	12-14 नवंबर 2024	
बैंकिंग का भविष्य: डिजिटल बदलाव को अपनाना विषय पर कार्यक्रम	13-14 नवंबर 2024	
बैंकों/वित्तीय संस्थानों हेतु व्यावसायिक नैतिकता व कॉर्पोरेट अभिशासन पर कार्यक्रम	13-14 नवंबर 2024	
शाखा प्रबंधकों हेतु नेतृत्व तथा सॉफ्ट स्किल्स के विकास पर कार्यक्रम	18-19 नवंबर 2024	आईआईबीएफ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर, दक्षिण अंचल, चेन्नई - 600026
आंतरिक लेखापरीक्षा-आरबीआईए पर कार्यक्रम	19-20 नवंबर 2024	वर्चुअल
तुलन पत्र अध्ययन तथा अनुपात विश्लेषण पर कार्यक्रम	19-21 नवंबर 2024	
वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणपत्र हेतु परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	21-23 नवंबर 2024	
सूचना प्रौद्योगिकी तथा साइबर सुरक्षा पर कार्यक्रम	26-27 नवंबर 2024	
विदेशी मुद्रा परिचालन पर कार्यक्रम	26-28 नवंबर 2024	

संस्थान समाचार

आईआईबीएफ द्वारा 'अपाबी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024' का आयोजन

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस द्वारा 14 नवंबर 2024 को 21वें एशियाई पैसिफिक असोसिएशन ऑफ बैंकिंग इंस्टीटयूट्स (APABI) सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन 'पैराडाइम शिफ्ट इन बैंकिंग - मुविंग टुवर्ड्स अ रीजिलिएंट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल मॉडल' विषय पर है। सम्मेलन में भारत सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों द्वारा बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में नवीनतम प्रवृत्तियों पर चर्चा किए जाने की आशा है। सम्मेलन के बाद 39वां सर पुरुषोत्तमदास व्याख्यान होगा।

आईआईबीएफ और इग्नू- जेएआईआईबी/सीएआईआईबी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए क्रेडिट अंतरण योजना हेतु समझौता

2023 के संशोधित पाठ्यक्रम के तहत जेएआईआईबी/सीएआईआईबी योग्यता हासिल करने वाले आईआईबीएफ के सदस्यों को एमबीए (बैंकिंग व वित्त) में प्रवेश देने के लिए आईआईबीएफ और इग्नू ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार, एमबीए (बैंकिंग व वित्त) की अधिकतम अवधि के भीतर, आईआईबीएफ से जेएआईआईबी/सीएआईआईबी के संगत विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इग्नू, एमबीए (बैंकिंग व वित्त) के 28 कोर्सों में अधिकतम 5 कोर्सों तक की छूट/क्रेडिट का ट्रांसफर देगा। अधिक विवरण निम्न लिंक पर उपलब्ध है:

http://www.ignou.ac.in/ignou/aboutignou/school/soms/credittransfer

प्रमाणित वित्तीय आयोजक प्रमाणन कार्यक्रम हेतु आईआईबीएफ का एफपीएसबी के साथ समझौता

संस्थान ने वित्तीय आयोजना पेशे हेतु वैश्विक मानक निर्धारक निकाय की भारतीय अनुषंगी तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणित वित्तीय आयोजक (सीएफपी) प्रमाणन कार्यक्रम के लिए एफपीएसबी इंडिया के साथ कार्यनीतिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस महत्वपूर्ण भागीदारी के तहत, आईआईबीएफ से सीएआईआईबी योग्यता पूरी कर चुके तथा बीएसएफआई क्षेत्र में तीन वर्षों का मान्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए सीएफपी प्रमाणन के प्रथम तीन मॉड्यूल उत्तीर्ण करने से छूट होगी तथा वे फास्ट ट्रैक राह से एफपीएसबी इंडिया के समन्वित वित्तीय आयोजना मॉड्यूल में सीधे नामांकन करा सकेंगे। अधिक जानकारी iibf.org.in पर मिलेगी।

जलवायु जोखिम तथा संधारणीय वित्तपोषण पर आईआईबीएफ व आईएफसी का संयुक्त प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

संस्थान ने जलवायु जोखिम तथा संधारणीय वित्तपोषण पर प्रमाणन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ करार किया है। पाठ्यक्रम दो भागों में बंटा है-प्रारंभिक तथा उन्नत। इसका स्वरूप खुद की गति से पूरा किए जाने वाली ई–लर्निंग का है जिसमें प्रत्येक भाग में 60 घंटे की लर्निंग और इसके बाद मूल्यांकन है। सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर आईआईबीएफ व आईएफसी द्वारा संयुक्त प्रमाणपत्र दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी iibf.org.in पर मौजूद है।

परीक्षाओं हेतु दिशानिर्देशों/महत्वपूर्ण सूचनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान की प्रथा रही है कि विनियामक (कों) द्वारा जारी हाल के परिवर्तनों/दिशानिर्देशों संबंधी प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाएँ ताकि यह जांचा जा सके कि क्या अभ्यर्थी वर्तमान घटनाओं की जानकारी रखते हैं। तथापि, प्रश्नपत्र तैयार करने की तिथि से वास्तविक परीक्षा तिथियों तक घटनाओं/दिशानिर्देशों में बदलाव हो सकता है। इन मुद्दों के कारगर समाधान हे तु, यह निर्णय लिया गया है कि संस्थान द्वारा सितंबर 2024 से फरवरी 2025 की अवधि हेतु संचालित परीक्षाओं के मामले में, प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य से केवल 30 जून 2024 तक विनियामक(कों) द्वारा जारी अनुदेश/दिशानिर्देश तथा बैंकिंग व वित्त की महत्वपूर्ण घटनाएँ शामिल की जाएंगी।

बाजार की खबरें

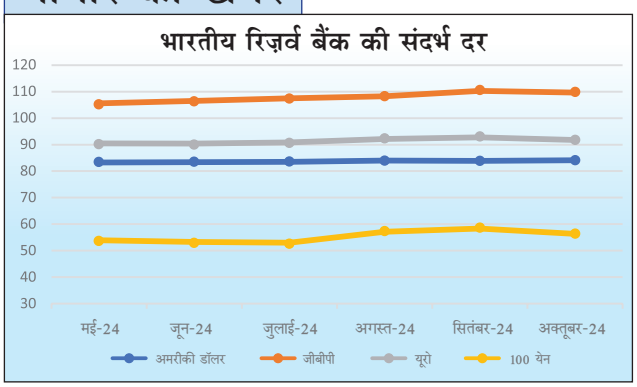

स्रोत: एफबीआईएल

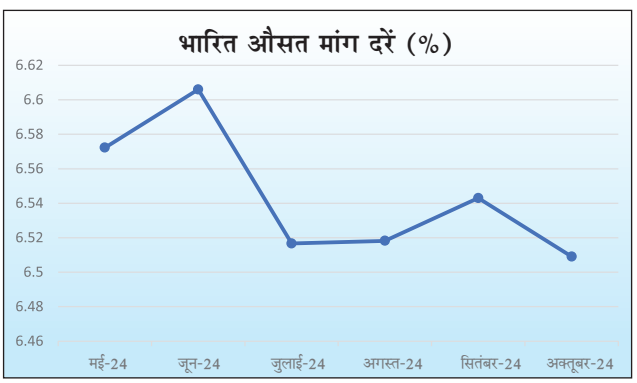

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

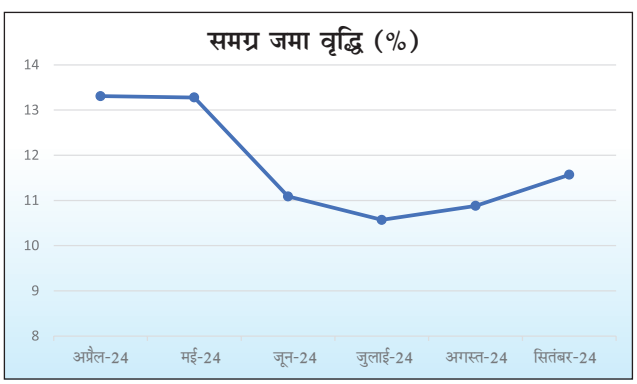

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अक्तूबर, 2024

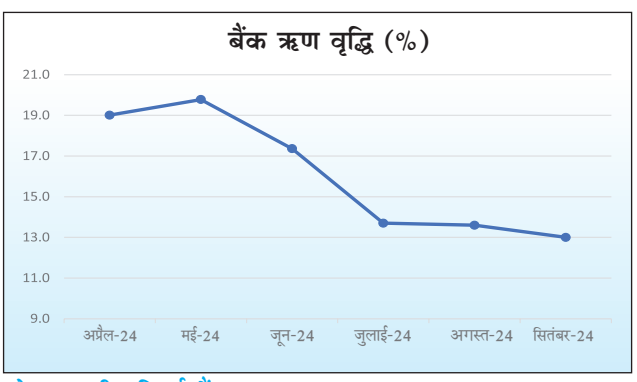

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

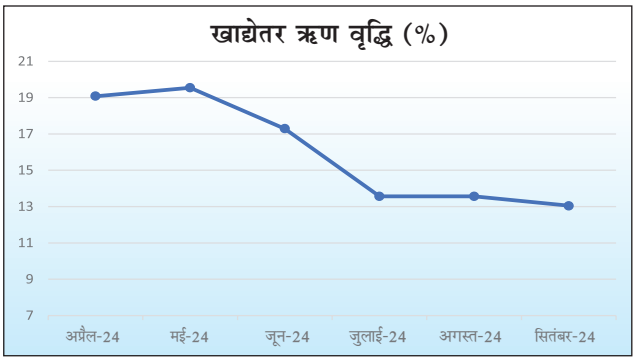

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अक्तूबर 2024

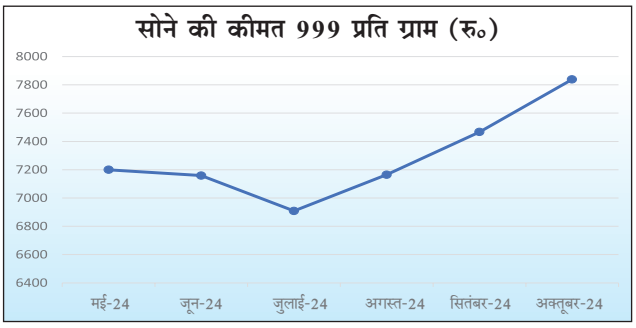

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

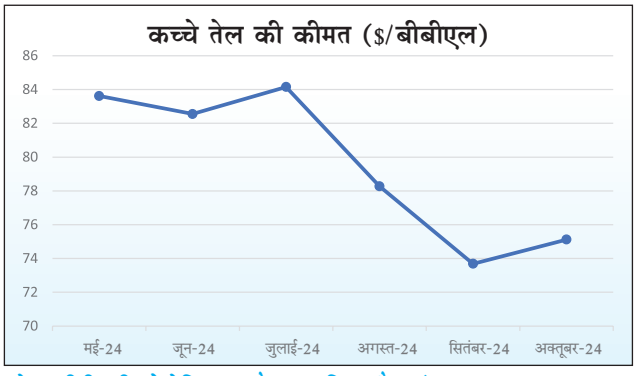

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

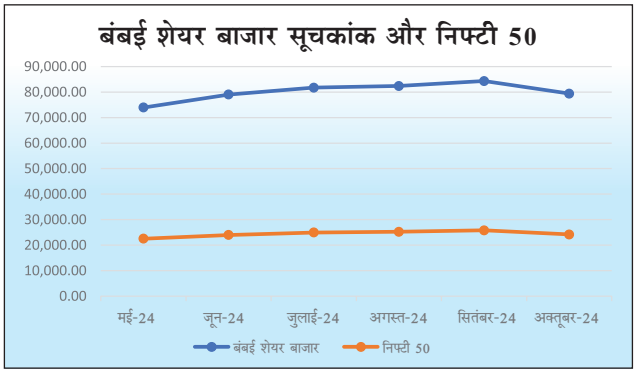

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान को दिया गया अपना ई मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक प्रतिवेदन ई मेल से पाने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W),
Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in